"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 462] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2016— पौष 5, शक 1938

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-35/2016/12. — खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 26 के उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 7 के उप-नियम (10) के खण्ड (घ) एवं नियम 8 के उप-नियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन यथा उपबंधित खनन पट्टा अनुदत्त किये जाने पर आवेदक एवं राज्य शासन के मध्य निष्पादित किये जाने वाले "खान विकास उत्पादन करार" पर राज्य शासन की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को प्राधिकृत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 7-35/2016/12. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-35/2016/12, दिनांक 24-12-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 24th December 2016

NOTIFICATION

No. F 7-35/2016/12.— In exercise of the powers conferred by sub section (2) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, authorises the Collector of concerned district to sign on behalf of the State Government in "Mine Development and Production Agreement" to be executed between the applicant and the State Government on grant of mining lease as provided under clause (d) of sub rule (10) of rule 7 and clause (b) of sub rule (3) of rule 8 of the Mineral (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.